mÙkjk[kM 'kklu

'kgjh fodkl vuHkkx&1

l[;k 248@IV½1½@2009&02¼49½@2009

ngjknu 10 Qjojh] 2009

vf/klpuk

उत्तराखंड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या–30 वर्ष 2003) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ''उत्तराखंड लोक सम्पत्ति विरूपण एवं निवारण'' के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखंड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली, 2009'' है (संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ)

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियम मेंः– (परिभाषाएं)

(क) 'जिलाधिकारी' से उत्तराखंड राज्य के संबंधित जिले का जिलाधिकारी अभिप्रेत है

(ख) 'विरूपण' में लोक सम्पत्ति के रूप में एवं सुन्दरता को हानि पहुंचाना अथवा हस्तक्षेप, क्षति पहुंचाना, विद्रूपण, बिगाडना अथवा किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाना सम्मिलित है तथा ''विरूपण'' शब्द का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा,

(ग) 'लोक सम्पत्ति' में कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़, या खम्भा अथवा कोई अन्य निर्माण सम्मिलित होगा,

(घ) 'लेख' में सजावट, अक्षरांकन, अलंकरण आदि सम्मिलित है,

(ड) 'सार्वजनिक दृष्टि' से ऐसे स्थान अभिप्रेत है, जो जनसाधारण को सार्वजनिक स्थान पर आते जाते दिखता हो,

(च) 'सार्वजनिक स्थान' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो जनसाधारण के उपयोग के लिये है जिसमें रोड़, गली या रास्ता, जो आम रास्ता हो या न हो, तथा मैदान भी सम्मिलित है तथा जो जनसाधारण के आवागमन के लिए बिना रोक–टोक खुला हों

(छ) 'नगरीय क्षेत्र' से किसी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ज) 'ग्रामीण क्षेत्र' से किसी ग्राम सभा के प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है,

(झ) 'अधिनियम' से ''उत्तराखंड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003'' अभिप्रेत है,

(ञ) इन नियमों में जिन शब्दों अथवा वाक्यों को परिभाषित नहीं किया गया है, उनके वहीं अर्थ होगें, जो अधिनियम में दिये गये है,

क्रमशः----------2

लोक सम्पत्ति के विरूपण के लिए दण्ड की प्रक्रिया

3. (1) यदि कोई व्यक्ति, कम्पनी निगमित निकाय अथवा व्यक्तियों के संगम अधिनियम की धारा—3 में उल्लिखित रीति से लोक सम्पत्ति का विरूपण करता है, तो उसे एतद्पश्चात रीति से दण्डित किया जायेगाः

परंतु यह कि किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अधिभोगी के मामले में अधिनियम की धारा 3 लागू नहीं होगी।

(2) जिलाधिकारी अथवा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा ग्राम सभा का प्राधिकृत अधिकारी लोक सम्पत्ति को विरूपित करने वाले व्यक्ति जिसमें कम्पनी, निगमित संस्था या व्यक्यितों के संगम का कोई सभापति, अध्यक्ष, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता अथवा उसके प्रबन्धन से संबंधित व्यक्ति को ऐसे विरूपण को एक सप्ताह में हटाने अथवा ठीक करने अथवा यथास्थिति में लाने के लिए नोटिस भेजेगा।

(3) नोटिस प्राप्त होने के उपरांत ऐसा व्यक्ति लोक सम्पत्ति के विरूपण को हटाने अथवा ठीक करने अथवा यथास्थिति में लाने की कार्यवाही करेगा और यदि किसी लोक सम्पत्ति के विरूपण के फलस्वरूप यथास्थिति में लाने से उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है तो ऐसे विरूपण के लिए जिलाधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत की गयी धनराशि जमा करेगा।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित अवधि में उपनियम (3) के अनुसार कार्यवाही सम्पादित नहीं करता है तो जिलाधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी ऐसे विरूपण को हटाने, ठीक करने अथवा यथास्थिति पर लाने की कार्यवाही स्वयं करेगा और ऐसी कार्यवाही पर आने वाला व्यय संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जायेगा।

(5) उप नियम (4) के अनुसार कार्यवाही सम्पादित न करने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिलाधिकारी अथवा उसका प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करायेगा।

4. जिलाधिकारी अथवा उसका प्राधिकृत अधिकारी लोक सम्पत्ति के विरूपण को हटाने, शुल्क विहित करना क
अथवा यथास्थिति पर लाने की कार्यवाही हेतु ऐसा शुल्क नियत करेगा

जैसा वह उचित समझें।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
सचिव